सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ, 1937 (श०)

संख्या 125 राँची, मंगलवार

**2** फरवरी, 2016 (ई०)


पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

(पर्यटन प्रभाग)

----------

संकल्प

1 फरवरी, 2016

विषय:- पारसनाथ (मधुबन), गिरिडीह पर्यटन विकास प्राधिकार तथा रजरप्पा (रामगढ़) पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन के संबंध में ।

**संकल्प संख्या - पर्यटन/यो॰-02/2016 –01--**झारखण्ड राज्य में बहुत सारे पर्यटन स्थल है जहाँ पर काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, परन्तु इन पर्यटक क्षेत्रों के विकास हेतु अभी तक किसी तरह की प्राधिकार का गठन नहीं किया गया है। प्राधिकार के गठन से इन क्षेत्रों के विकास हेतु नीति या योजना बनायी जा सकती है। विदित हो कि झारखण्ड में बृहत स्तर पर रमणीय स्थल/धार्मिक स्थल (जैसे पारसनाथ, रजरप्पा, ईटखोरी, तेनुघाट इत्यादि) हैं, जिनके विकास हेतु प्राधिकार के गठन की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है।

पारसनाथ (मधुबन) गिरिडीह जिलान्तर्गत जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से 20 को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पारसनाथ मंदिर पहाड़ पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 4480 फीट है तथा यह गिरिडीह शहर से 35 कि॰मी॰ की दूरी पर अवस्थित है। पारसनाथ से मात्र 8 कि॰मी॰ की दूरी पर खण्डोली अवस्थित है जो कि पहाड़ी की तरायी पर एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है।

रामगढ़ जिलान्तर्गत रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर रजरप्पा में दामोदर तथा भैरवी नदियों के संगम पर स्थित है। दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित होने तथा आस-पास के प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण यह स्थान भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल भी है। इस स्थल पर पर्यटकों की नियमित संख्या प्रतिदिन हजारों में है। इस स्थल को यदि पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर दिया जाय तो यहाँ आने वाले पर्यटकों (विदेशी पर्यटक सहित) की संख्या में भारी वृद्धि होगी।

2. झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक 2015 के अध्याय-2 में पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्णित विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार के स्तर से किसी खास पर्यटक स्थल के विकास के लिये ही पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन का उपबंध किया गया है।

3. पर्यटन विकास प्राधिकार द्वारा किसी खास पर्यटक स्थल के विकास से संबंधित कार्य करना ही प्राधिकार का दायित्व है।

4. अतः पारसनाथ (मधुबन) गिरिडीह तथा रजरप्पा, रामगढ़ के पर्यटन की दृष्टि से महत्व को देखते हुए उक्त स्थलों का पर्यटकीय विकास तथा उचित प्रबंधन हेतु पारसनाथ (मधुबन) गिरिडीह पर्यटन विकास प्राधिकार पारसनाथ के लिए तथा रजरप्पा पर्यटन विकास प्राधिकार रजरप्पा, रामगढ़ के लिए गठन निम्नवत् किया जाता है:-

सदस्यता:- पर्यटन विकास प्राधिकार में निम्न सदस्य होंगे –

1. प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग- अध्यक्ष

2. उपायुक्त, संबंधित जिला - उपाध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

3. उप विकास आयुक्त, संबंधित जिला - कार्यकारी निदेशक।

4. निदेशक (कुल 6) - सदस्य। (जो की गैर सरकारी होंगे जिसकी नियुक्ति विधिवत् प्रक्रिया के तहत् विभाग द्वारा की जायेगी)

उद्देश्य:- पर्यटन विकास प्राधिकार के निम्नांकित उद्देश्य होंगे-

I प्राधिकार स्थल/क्षेत्र तथा उसकी सुख-सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण तथा भूमि के आवंटन, पट्टा-निष्पादन और ऐसा आवंटन, पट्टा रद्द करने तथा फीस, लगान, प्रभार वसूल करने इत्यादि और उससे संबंधित बातों के लिए उत्तरदायी होगा।

II पर्यटन से संबंधित सेवाएँ, यथा सूचना, आरक्षण, मार्गदर्शन, पार्किंग, प्रसाधन, पर्यटक स्थलों की साफाई, पर्यावरण उन्नत करने, प्रचार इत्यादि, की व्यवस्था और अनुरक्षण कर सकेगा;

III पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ बनाए रखने में स्थानीय निकायें की सहायता कर सकेगा;

IV उपवन, झील और आमोद-प्रमोद केन्द्र, फव्वारों या कोई अन्य ऐसी सुविधाएँ बनवा और उनका अनुरक्षण कर सकेगा, जो क्षेत्र के पर्यटन मूल्य की वृद्धि करे;

V पर्यटन के विभिन्न प्रक्षेत्रों और सम्बद्ध क्रिया-कलापों में लगे हुए उद्योगों के लिए विकासात्मक उपाय कर सकेगा;

VI विभाग के साधारण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन, सभी पर्यटन इकाईयों और सम्बद्ध क्रिया-कलापों के सन्निर्माण, विस्तार, अनुरक्षण और संचालन को ऐसी

रीति में, जिससे पर्यटन क्रिया-कलाप पर्यावरणिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से संपोषित बन जाएँ, विनियमित कर सकेगा;

VII अपने क्षेत्र के लिए पर्यटन मास्टर-प्लान तैयार कर सकेगा और पर्यटन संबंधी क्रिया-कलाप करने वाली सभी पर्यटन इकाईयाँ और स्थापनाएँ, उपर्युक्त मास्टर प्लान का अनुपालन करेंगी तथा प्राधिकार मास्टर प्लान का अनुपालन नहीं करने वाली इकाईयों या स्थापनाओं को बन्द करने का आदेश कर सकेगा;

VIII ऐसे स्थल में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु ऐसे अधिसूचित पर्यटक स्थल का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की धार्मिक भावनाओं के अनुकूल ऐसे अधिसूचित पर्यटक स्थल में समस्त ऐसी सेवाओं को विनियमित कर सकेगा;

IX अपने क्षेत्र की सड़कों, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की सम्पति पर हुए अतिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा 196, 197, 198, 199, 200, 201 और 202 में यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियाँ होंगी;

X ऐसे अन्य कत्त्तव्यों और कृत्यों, जैसा कि विभाग या सरकार द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे जाएँ, का अनुपालन करेगा।

कार्यक्षेत्र:- प्राधिकार का कार्य क्षेत्र विभाग द्वारा अधिसूचित होगा जो कि संबंधित पर्यटन स्थल के आस-पास के क्षेत्रों/गाँवों तक एवं अन्य जगह तक सीमित रहेगा। साथ हीं समय-समय पर आवश्यकतानूसार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकेगा।

प्राधिकार के बैठक -

I प्राधिकार की साधारण बैठक, त्रिमास में एक बार अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि, समय और स्थान पर होगी।

II अध्यक्ष, जब कभी उचित समझते हैं तो, विशेष बैठक बुला सकेगा।

कार्यकारी निदेशक के कार्य:- प्राधिकार के कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:

I प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा;

II प्राधिकार की निधि से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चो को पूरा करने के लिए राशि निकालेगा;

III प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित कर सकेगा;

IV प्राधिकार का सदस्य सचिव भी होगा तथा तत्संबंधी समस्त कार्यो का निर्वहन करेगा।

V किसी भी अन्य ऐसे कत्र्तव्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

निदेशकों की नियुक्ति:- विज्ञापन के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए उन व्यक्तियों में से, जिन्होंने पर्यटन उद्योग के विकास एवं प्रोन्नति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, या निपूणता प्राप्त की हो, और जिनको पर्यटन व्यवसाय में कम-से-कम दस वर्षों के कार्यों का अनुभव हो, को दो वर्षों के अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। इनकी नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर की जायेगी।

चयन समिति निम्नवत् होगी:-

1. प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार- अध्यक्ष

2. उपायुक्त, संबंधित जिला - सदस्य

3. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार - सदस्य

4. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि - सदस्य

5. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, झारखण्ड, राँची - सदस्य

6. विभागाध्यक्ष, पर्यटन प्रबंधन विभाग, बी॰ आई॰ टी॰ मेसरा, राँची - सदस्य

निदेशक को भत्ता:- प्रत्येक बैठक के लिये ` 2,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र तथा मानदेय के रूप में प्रति माह ` 10,000.00 (दस हजार रूपये) मात्र का भुगतान किया जायेगा।

पदावधि:-

I गैर-सरकारी निदेशक, नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए प्राधिकार का पद धारण करेगे और वह पुनः नियुक्त होने के पात्र होगें।

II यदि सरकार मानती है कि किसी गैर-सरकारी निदेशक का कार्यालय में बने रहना प्राधिकार के हित में नहीं है, तो सरकार उसकी अवधि समाप्त करने का आदेश पारित कर सकेगी और तदुपरि, इस बात के होते हुए कि यह अवधि जिसके लिए वह मनोनीत किया गया था, समाप्त नही हुई है, प्राधिकार का सदस्य नहीं रहेंगे।

III प्राधिकार का कोई गैर सरकारी निदेशक, अध्यक्ष के नाम पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से वह प्रभावी होगा।

निरर्हता:- कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में निरर्हित होगा, यदि:-

I वह ऐसे किसी अपराध, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्त्तग्रस्त है, के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डदिष्ट किया गया है; या

II वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

III वह विकृतचित का है; या

IV वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा में पदच्युत कर दिया या हटा दिया गया है; या

V उसका स्वयं या किसी भागी, नियोजक या कर्मचारी द्वारा, प्राधिकार के द्वारा या की ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्षत; कोई अंश या हित है।

प्राधिकार की निधियाँ:-

**I** प्राधिकार की अपनी निधि होगी जिसमें निम्नांकित प्राप्तियाँ जमा की जाएँगी और प्राधिकार के सभी भुगतान उसमें से किए जाएँगेः

I प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, कर्ज और अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन;

II इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सारी फीस, लगान, प्रभार, उद्ग्रहण और जुर्माने;

III प्राधिकार द्वारा अपनी चल और अचल आस्तियों के निपटारे से प्राप्त सभी धन;

IV प्राधिकार द्वारा वित्तीय और अन्य संस्थाओं से कर्ज के रूप में और प्राधिकार के राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी स्कीम या स्कीमों के निष्पादन के लिए, जारी किये गये ऋण-पत्रों (डिबेंचर) से प्राप्त सभी धन।

V प्राधिकार गैर सरकारी स्रोत जैसे चंदा, गैरसरकारी ऋण आदि से भी निधि की प्राप्ति कर सकती है।

VI प्राधिकार सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोत से प्राप्त आय का प्रबंधन वित्तीय नियमों के अनुसार करेगी।

**II** इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकार को, प्राधिकार के सभी प्रशासनिक व्ययों और उद्देश्यों पर या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए, ऐसी राशि जो वह

उचित समझें, खर्च करने की शक्ति होगी और ऐसी राशि प्राधिकार की निधियों में से व्यय के रूप में मानी जाएगी।

**III** प्राधिकार के खाते में जमा समस्त राशि, जिसे उप-धारा (प्प्) में उपबन्ध के अनुसार तुरन्त उपयोजित न किया जा सकता हो, को पी॰एल॰ खाता में जमा की जाएगी।

कोष की व्यवस्था/बैंक खाते का संचालन:- प्राधिकार को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ प्राधिकार के नाम से किसी भी सरकारी बैंक में चालु खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी अध्यक्ष की अनुमति से प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी।

बजट, लेखा एवं अंकेक्षण:-

I प्राधिकार प्रत्येक वर्ष ठीक अगले वित्त वर्ष के लिए एक बजट पारित करेगा, जिसमे प्राधिकार के अनुमानित आमद-खर्च दिखाए जाएंगे, और उतनी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा जो नियमों द्वारा विहित हो और राज्य सरकार ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समीचीन समझा जाय ।

II प्राधिकार उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित रखेगी तथा लाभ और हानि लेखा तुलनपत्र सहित लेखे का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए, तैयार करेगा ।

III प्राधिकार के लेखाओं का वार्षिक अंकेक्षण, झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा द्वारा किया जाएगा और उसके द्वारा ऐसे अंकेक्षण से संबंद्ध किया गया कोई व्यय, प्राधिकार द्वारा झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा को भुगतान किया जाएगा तथा प्राधिकार उसे विभाग को अग्रसारित करेगा ।

IV ऐसे अंकेक्षण के संबंध में, झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा के वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसे झारखण्ड के महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में हैं और विशेषतया परिषद्

की पुस्तकों, लेखों सम्बद्ध अभिश्रवों, दस्तावेजों और कागजपत्रों को प्रस्तुत किये जाने की माँग का अधिकार होगा ।

V झारखण्ड के वित्त विभाग के अन्तर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा द्वारा यथा प्रमाणित, अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्राधिकार के लेखाएँ प्राधिकार द्वारा विभाग को वार्षिक रूप में अग्रसारित किए जाएंगे ।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अविनाश कुमार,**

सरकार के सचिव ।

----------

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 125—50 ।